कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

दिनांक :- 25/6/26

क्रमांक :- 987

।। संशोधित कार्यालय आदेश ।।

मैं मनोज सिंह फौजदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 904 दिनांक 30.05.2026 में न्यायालय न्यायिक मजि. निवाई के पीठासीन अधिकारी को आवश्यक कार्य से बाहर जाने से संशोधन कर टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यो (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे। माह जून–2026 की शेष दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती जारी आदेश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड ड्यूटी

क.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	सिद्धार्थ शर्मा	7297911597	28.06.2026

उक्त ड्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड ड्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत ड्यूटी दिवस् पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

25/6/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान

क्रमांक :- 988 to 996 दिनांक :- 25/6/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी,टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रुम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोक की वेबसाइड पर अपलॉड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)